ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–138/2021 दायर दिनांक: 07.9.2021

MS NO:- 2021/261 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामदेव आ0 नारायण जाति माली नि0 खानपुरा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब, नैनवॉ।
2. भोजू आ0 कालू जाति गुर्जर नि0 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
3. रामनाथ आ0 गेन्दीलाल जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
4. कजोडी पत्नी कल्याण जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
5. रामकुंवार आ0 कल्याण जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
6. राकेश आ0 कल्याण जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
7. जगन्नाथ आ0 जीवण जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
8. ग्यारसीलाल आ0 जीवण जाति माली नि9 खानपुरा हाल डोकून तहसील नैनवॉ।
9. भोजा आ0 जीवण जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
10. खानी पत्नी धन्नालाल जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।
11. रामफूल आ0 धन्नालाल जाति माली नि9 खानपुरा तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गुर्जर।
अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खानपुरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 323 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1203, 1204, 1205, 1917/2028 एवं 1918 कुल किता 13 कुल रकबा 1.0660 हैक्टयर स्थित है जो प्रार्थी के नाम रिकॉर्डेड खातेदारी दर्ज है और इसी हैसियत से काबिज है। इसी प्रकार ग्राम खानपुरा मे खाता संख्या 321 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.1780 हैक्टयर स्थित है जिसका भी प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार आसामी है तथा इसी हैसियत से काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम खानपुरा मे खाता संख्या 329 की भूमि खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.0405 हैक्टयर स्थित है जिसमे प्रार्थी 1/2 का खातेदारी आसामी है तथा 1/2 देव्या पुत्र सेवा जाति माली के नाम दर्ज है। देव्या माली की मृत्यु वर्षो दराज पूर्व हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण 3 लगायत 11 है जिनका इस चाह पर कभी कब्जा नही रहा है। संपूर्ण चाह पर प्रार्थी का ही कब्जा है। इस प्रकार ग्राम खानपुरा मे खाता संख्या 319 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1140 व 1141 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2265 हैक्टयर स्थित है जिसका भी प्रार्थी ही खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है और इसी हैसियत से काबिज है।

यह कि प्रार्थी ने अपने खाते की भूमियों का पटवारी से दिनांक 7.7.2021 को सीमाज्ञान करवाया था तब अप्रार्थी संख्या 2 भी मौजूद था परन्तु उनसे मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर निशानी करने से मना कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 ताकतवर व लडाकू व्यक्ति है जो रास्ता खसरा नम्बर 1205 के पूर्वी भाग मे रूकावट करने लग गया तथा उसके खाते की भूमि खसरा नम्बर 1142 की पूर्वी मेर पर अपनी सीमा को छोडकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1140, 1141,1156, 1154 व 1153 मे घुस कर आगे बढना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी से उसकी भूमियों को लेकर भूमियों की सीमा के संबंध मे विवाद कर दिया व झगडा किया व धमकी दी कि मेरी जमीन तेने दबा रखी है। प्रार्थी ने कहा कि मैने तेरी जमीन नही दबा रखी है, नाप करवा ले और पत्थरगढी करवाले तो अप्रार्थी भोजू ने कहा कि मेरे पास तो ताकत व लाठी है, मै तो कहीं भी

नही जाउंगा, तु अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा ले। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान मौका पर्चा की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7, 9 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.4.2022 को की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गुर्जर द्वारा वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 09.05.2023 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खानपुरा मे प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि खाता संख्या 323, 321, 319 की भूमि की पुलिस जाब्ता की उपस्थिति मे पत्थरगढी करवायी जावे जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनके अभिभाष्य संख्या 2 के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 1142, 1147, 1148, 734 के संबंध मे एक वाद संख्या 87/2021 श्रीमान के न्यायालय मे विचाराधीन है जिससे इस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाना उचित होगा। साथ ही कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जबरन उनके अभिभाष्य के काबिज काश्त व खातेदारी भूमि को हडप करना चाहता है जिससे उसके द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पूर्व मे करवाये गये सीमाज्ञान का मौका पर्चा पेश किया हुआ है तथा चुंकि ग्राम खानपुरा मे स्थित भूमि खाता संख्या 323, 321, 319 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम ग्राम खानपुरा मे स्थित खसरा नम्बरान 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1203, 1204, 1917/2028, 1918, 1151, 1140, 1141 भूमि पर यदि प्रार्थी अथवा उसके वारिसान का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर उक्त वर्णित भूमि की पैमाईश की जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवाँ